न्यायालय:– विशिष्ट न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. प्रकरण)
(अपर सेशन न्यायाधीश), रावतसर, जिला–हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी – **राजन खत्री,**
(RJS, DJ Cadre)

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 97/2026, पुलिस थाना पल्लू
अपराध अंतर्गत धारा – 29 सपठित धारा 8/21, एन.डी.पी.एस. एक्ट

जमानत आवेदन सी.आई.एस. संख्या – 163/2026

1– कृष्ण सिंह पुत्र सुरजीत सिंह, उम्र 30 वर्ष, निवासी 20 बी.डी., तहसील खाजूवाला, जिला बीकानेर।

जमानत आवेदन सी.आई.एस. संख्या – 164/2026

2– कर्मजीत सिंह करमू पुत्र हरजिन्द्र सिंह उर्फ राजू, उम्र 19 वर्ष, निवासी कर्मनगर, सीड फार्म पक्का, पी.एस. सीटी 1 अबोहर (पंजाब)।

जमानत आवेदन सी.आई.एस. संख्या – 165/2026

3– विकास पुत्र हेमराज, उम्र 22 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 04 झैदासर, तहसील पल्लू, जिला हनुमानगढ़।

जमानत आवेदन सी.आई.एस. संख्या – 172/2026

4– विकास पुत्र महावीर, उम्र 30 वर्ष, निवासी रामका, तहसील पल्लू, जिला हनुमानगढ़।

जमानत आवेदन सी.आई.एस. संख्या – 176/2026

5– दिनेश पुत्र गोपीराम, उम्र 23 वर्ष, निवासी झैदासर, तहसील पल्लू, जिला हनुमानगढ़।

––प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

बनाम

राजस्थान राज्य जरिए विशिष्ट लोक अभियोजक, रावतसर।

––अप्रार्थी/राज्य पक्ष

जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भा0 ना0 सु0 सं0

उपस्थिति:–

01. श्री किशन शर्मा व श्री अनिल सिहाग, अधिवक्तागण – प्रार्थी/अभियुक्त सं. 1 की ओर से।
02. श्री सुनील धारीवाला व श्री रविन्द्र कुमार, अधिवक्तागण– प्रार्थी/अभियुक्त सं. 2 की ओर से।
03. श्री उमाशंकर शर्मा व श्री महिपाल वर्मा, अधिवक्तागण – प्रार्थी/अभियुक्त सं. 3 की ओर से।
04. श्री छोटुराम सहू व श्री रोहिताश महिया, अधिवक्तागण – प्रार्थीगण/अभियुक्तगण सं. 4 व 5 की ओर से।
05. श्री उमेश कुमार शर्मा, विशिष्ट लोक अभियोजक – राज्य की ओर से।

– आदेश– **दिनांक:– 29–06–2026**

1. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्तागण द्वारा पृथक–पृथक जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भा0 ना0 सु0 सं0 इस न्यायालय में प्रस्तुत हुआ, जिनकी नकल विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक को दिलाई गई। केस डायरी तलब की गई। बहस सुनी गई। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत किए गए उपरोक्त जमानत प्रार्थना–पत्र एक ही एफ.आई.आर./प्रकरण से संबंधित होने के कारण उक्त पाचों जमानत प्रार्थना पत्रों का एक साथ ही निस्तारण किया जा रहा है।

2. जमानत प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के अधिवक्तागण ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को झूठा फंसाया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से किसी प्रकार की बरामदगी नहीं हुई है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया ऐसा कोई अपराध बनना नहीं पाया जाता है, जिसमें सजा का प्रावधान आजीवन कारावास या मृत्युदण्ड हो। मुकदमा हाजा की सुनवाई में लम्बा समय लगेगा। प्रार्थी के जमानत पर रिहा होने से भागने व गवाहान पर प्रभाव डालने का कोई अंदेशा नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण गिरफ्तारी के समय से न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के न्यायिक अभिरक्षा में रहने से उनके सामाजिक व पारिवारिक जीवन पर बुरा असर पड़ेगा। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण माननीय न्यायालय के आदेशानुसार अपनी मौतबीर जमानत पेश करने को तैयार है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाए।

3. उक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक का तर्क रहा है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध गंभीर प्रकृति के

अपराध का आरोप है, इसलिए प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ नहीं दिया जाए।

4. उभय पक्षकारान के उक्त तर्कों पर विचार किया गया। केस डायरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

5. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 06.06.2026 को दौरान–ए–गश्त वक्त 11:20 ए.एम. पर जाट धर्मशाला में अभियुक्त मुकेश कुमार कब्जे से कुल 26.36 ग्राम हेरोईन (चिट्टा) पुलिस ने बरामद किया, जिसे रखने का उसके पास कोई वैध लाइसेंस या परमिट नहीं था, आदि तथ्यों की फर्द बरामदगी के आधार पर उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाकर अनुसंधान जारी है। प्रार्थी/अभियुक्त कृष्ण कुमार उर्फ कृष्ण सिंह का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड निम्नानुसार है–

Sr. No.	FIR No. & Police Station	Under Section	Status
1.	235/21,	13 आर.पी.जी.ओ.	सजा
2.	41/20	13 आर.पी.जी.ओ.	सजा

6. प्रार्थीगण/ अभियुक्तगण कर्मजीत उर्फ करमू, विकास कुमार पुत्र हेमराज, विकास कुमार पुत्र महावीर प्रसाद व दिनेश का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड निम्नानुसार है–

Sr. No.	FIR No. & Police Station	Under Section	Status
–	–	–	–

7. उभयपक्षों के तथ्यों के प्रकाश में केस डायरी का अवलोकन किये जाने पर यह जाहिर होता है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध पुलिस ने अब तक अपने अनुसंधान में **धारा 29 सपठित धारा 8/21, एन.डी.पी.एस. एक्ट** का अपराध प्रमाणित माना है। प्रकरण में अन्य अभियुक्त के कब्जा से **कुल 26.36 ग्राम हेरोईन (चिट्टा)** बरामद किए जाने का तथ्य प्रथमदृष्ट्या प्रकट आया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण कृष्ण कुमार व कर्मजीत सिंह उर्फ करमू दिनांक 09–06–2026, प्रार्थी/अभियुक्त विकास पुत्र हेमराज दिनांक 14.06.2026, प्रार्थी/अभियुक्त विकास पुत्र महावीर दिनांक 18.06.2026 व प्रार्थी/अभियुक्त दिनेश दिनांक 23.06.2026 से पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में है। जहां तक कि दौरान–ए–बहस

विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक का यह तर्क रहा है कि हस्तगत प्रकरण में सह–अभियुक्त मुकेश कुमार का जमानत आवेदन इस न्यायालय द्वारा पूर्व में अस्वीकार कर खारिज किया जा चुका है, तो इसके संबंध में न्यायालय का मत है कि अभियुक्त मुकेश कुमार के कब्जे से हेरोईन (चिट्टा) की बरामदगी हुई है, जबकि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के कब्जे से कोई बरामदगी नहीं हुई है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के संबंध में प्रकरण के तथ्य सह–अभियुक्त के तथ्यों से पर्याप्त एवं सारवान भिन्नता लिये हुए हैं। प्रकरण के अनुसंधान एवं विचारण में समय लगने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं बरामदशुदा मादक पदार्थ की मात्रा को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना उक्त प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को इस प्रकरण में जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

– आदेश–

8. अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **कृष्ण कुमार उर्फ कृष्ण सिंह, कर्मजीत सिंह उर्फ करमू, विकास उर्फ हेमराज, विकास उर्फ महावीर व दिनेश** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483, भा0 ना0 सु0 सं0 स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक अभियुक्त **₹50,000/–** रुपये का स्वयं का मुचलका व **₹25,000–₹25,000/–** की 2 सुदृढ़ जमानतें इस न्यायालय के समक्ष इस आशय की प्रस्तुत कर तस्दीक करा देवे कि वह आदेशानुसार नियमित रूप से न्यायालय के समक्ष हाजिर होता रहेगा, किसी प्रकार के कोई अपराध नहीं करेगा एवं मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा तो अभियुक्तगण को इस प्रकरण में जमानत पर आजाद कर दिया जाए।

(राजन खत्री)

9. आदेश आज दिनांक 29–06–2026 को मेरे अनुदेश पर लिखाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

(राजन खत्री)

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.06.30 10:45:48 IST